न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–03/20

1. नथमल पुत्र श्री शिवकिशन जाति माहेश्वरी राठी निवासी सत्तासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 28.02.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के पिता शिवकिशन पुत्र जगन्नाथ के नाम ग्राम किशनपुरा के खसरा नं0 31 में 41.05 बीघा अनकमाण्ड भूमि सम्वत् 2012 से पुरानी बन्दाबस्ती काश्त की भूमि थी जो बाद में चकबन्दी एवं मुरब्बाबंदी होने के बाद चक 5 एसजेएम के मु0नं0 78/31 के किला नं0 13 ता 17, 24 व 25 की 07.00 बीघा व मु0नं0 78/32 के किला नं0 4 ता 6, 15 की 4.00 बीघा व मु0नं0 78/39 के किला नं0 8,9 सालम, 10 में 17 बिस्वा, 12, 13, 18, 19 सालम, 20 में 17 बिस्वा, 21 में 14 बिस्वा, 22 में 17 बिस्वा, 23 में 17 बिस्वा की 10.19 बीघा व मु0नं0 78/40 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 22 की 18.00 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 39.19 बीघा अनकमाण्ड भूमि की फिटिंग हुई। प्रार्थी के पिता शिवकिशन का सम्वत् 2014 में देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरकरण प्रार्थी व प्रार्थी के हिस्सेदार भाई सोहनलाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज हो गई। जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2015

में दर्ज है। उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2016 बनाते समय लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम छोड़कर केवल प्रार्थी के हिस्सेदार सोहनलाल का ही नाम दर्ज किया। तत्पश्चात 05.12.1975 में सोहनलाल का भी देहान्त हो जाने पर उक्त रकबा के रिकार्ड में सोहनलाल के वारिसान बृजरतन व करणीदान के नाम से दर्ज कर दिया गया तथा उससे आगामी जमाबंदी सम्वत् 2076 में प्रार्थी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम हटा दिया। इसप्रकार प्रार्थी अपने नाम से 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थी लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी की ओर से उसकी पुत्री लता मोहता व बृजरतन पुत्र श्री सोहनलाल आयु 57 वर्ष साकिन सतासर तहसील छतरगढ़ ने प्रार्थना पत्र के संबंध में सहमति हेतु शपथपत्र पेश किया । अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी चक 5 एसजेएम के खाता सं0 57 पुराना 51 पर बृजरतन, करणीदान पि0 सोहनलाल के साथ प्रार्थी का नाम नथमल पुत्र शिवकिशन, 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। प्रार्थी का बहिस्सा बराबर बराबर 1/2 का अंकन राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जावे।

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)